दिनांक–23.05.2018 को जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति के बैठक की कार्यवाही–

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के कार्यालय पत्रांक–31/DMFT दिनांक–21.05.2018 के आलोक में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक आज दिनांक–23.05.2018 को जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला दण्डाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में मध्याह्न 12:00 बजे आरंभ हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:–

1. जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
2. पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
4. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
5. निदेशक डी० आर० डी० ए०, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
6. जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
7. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

उपस्थितिः– उपस्थिति पंजी के पृष्ठ क्र० 14 पर संधारित है।

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला दण्डाधिकारी–सह–अध्यक्ष, **DMFT** पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त निर्धारित एजेन्डा पर चर्चा प्रारभं की गई।

1. राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संबंधी योजनाओं में अधिक राशि के व्यय की स्वीकृति की बात सामने आई। उक्त पर अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि पेयजल संबंधी योजनाओं को जो राज्य स्तर से स्वीकृत है, को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की स्वीकृति दी गई है।
2. वर्ष में कम से कम चार (4) न्यास परिषद् की बैठक आयोजित किए जानें का निर्णय लिया गया, साथ ही प्रत्येक न्यास बैठक से पूर्व प्रबंधकीय परिषद् की बैठक भी रखनें पर सहमति बनी।
3. **DMFT** संबंधी सभी बैठकों में स्वीकृति प्राप्त कियान्वित कराई जा रही योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन रखें जानें का निदेश के साथ ही न्यास परिषद् की अगली बैठक में सभी सदस्यों को **DMFT** संबंधी अब तक प्राप्त सभी दिशा –निदेश, नियमों की प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।
4. चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि न्यास परिषद से पारित योजनाओं को प्रबंधकीय परिषद में स्वीकृति के उपरान्त ही योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाय। यदि संबंधित कार्य/योजनाएँ वनभूमि पर है तो नियमानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति कार्य करने से पूर्व ही ले ली जाए ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, तत्पश्चात ही कार्य शुरू किया जाए।
5. माननीय विधायक श्रीमती जोबा मांझी द्वारा अनुशंसित आठ योजना में से दो योजना जिसकी ग्राम सभा के कार्यवाही की प्रति जो **DMFT** कोषांग को प्राप्त है पर स्वीकृति प्रदान की गई जो निम्न प्रकार है–
   1. बालजोडी ग्राम/पंचायत के घाघरासाई में एक अदद सोलर संचालित जलापूर्ति योजना।
   2. बालजोडी ग्राम/पंचायत के घाघरासाई उपर टोली में एक अदद सोलर संचालित जलापूर्ति योजना।
6. न्यास परिषद् के पूर्व की बैठक में पारित योजनाएँ जो ग्राम सभा से पारित/अनुमोदित एवं क्रियान्वित नहीं है, उन्हे रद्द करने का निर्णय लिया गया। शेष योजनाएँ जो कियान्वित हो रही है, उसका पुनः ग्राम सभा कराने का निर्णय लिया गया। सभी एजेन्सियों को इसका शत प्रतिशत अनुपालन 15 दिनों के अन्दर करने का निर्देश दिया गया।

7. पेयजल से संबंधित नये चापाकल की योजनाओं को छोड़कर पाईप लाईन से पेयजलापूर्ती की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई जो निम्न प्रकार है–

   1. चाईबासा प्रखण्ड अन्तर्गत तुईबीर पंचायत एवं आसन्न ग्रामों (तुईबीर, पाम्पाड़ा, कुईदबुसु, बरकुन्डिया, एवं तेरगो) में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना कुल स्वीकृत राशि–**898.783 (करोड में) रूपये मात्र**
   2. सदर चाईबासा प्रखण्ड अन्तर्गत बादुरी पंचायत आईता एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना कुल स्वीकृति राशि–**7727.960 (करोड में) रूपये मात्र**
   3. प्रखण्ड सदर चाईबासा अन्तर्गत कुर्सी पंचायत एवं आसन्न ग्रामों (कुर्सी, छोटा जयपुर, बडा जयपुर, छोटामौदी, बडामौदी, पुरनिया एवं डोन्कासाई) में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना।योजना कुल स्वीकृति राशि–**985.550 (करोड में) रूपये मात्र**

8. **DMFT** मद से अबतक स्वीकृत योजनाओं के लिए कर्णांकित राशि को वास्तविक मुल्यांकन के आधार पर विभाग को सूचित करने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी को उपायुक्त महोदय द्वारा दी गई।
9. उत्खनन विभाग से राशि से संबंधित प्राप्त विस्तृत प्रोजेक्शन प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश उपायुक्त महोदय द्वारा दी गई ताकि सरकार को प्रतिवेदित की जा सके।
10. एजेन्डा में सम्मिलित निम्न प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं०–1

DMFT मद से क्रियान्वित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में संसाधनों की कमी को देखते हुए निम्न पदाधिकारियों के लिए कुल–7 सात वाहनों को क्रय निर्धारित नियमों के अधीन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष	–1 अदद् वाहन
2. आरक्षी अधीक्षक	–1 अदद् वाहन
3. उप विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव	–1 अदद् वाहन
4. जिला खनन पदाधिकारी,	–1 अदद् वाहन
5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी,सारण्डा वन प्रमण्डल	–1 अदद् वाहन
6. पर्यवेक्षणर्थ कार्यालय कार्य हेतु	–2 अदद् वाहन

प्रस्ताव संख्या–2

उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) से प्राप्त अनुशंसित तथा ग्राम सभा से पारित योजनाओं के कियान्वयन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत प्रतिबंधित योजनाओं को छोड कर निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं जो विधिवत ग्राम सभा से पारित है, पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–3

निम्न योजनाओं के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

1. प्रखण्ड–सदर चाईबासा ग्राम–आईता एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापुर्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति।
2. प्रखण्ड–सदर चाईबासा ग्राम–तुईबीर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापुर्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति।
3. प्रखण्ड–सदर चाईबासा ग्राम–कुर्सी एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापुर्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति।
4. आर्दश मध्य विद्यालय बडाजामदा (नोवामुण्डी) में पेयजल एवं शौचालय निर्माण।

प्रस्ताव संख्या–4

1. वातानुकुलन संयंत्र – 2 अदद्
2. कार्यालय टेवल – 6 अदद्
3. संगणक सेट – 5 अदद्
4. अलमीरा – 10 अदद्
5. कार्यालय लेखन सामग्री – (आवश्यकता अनुसार) VI- **लैपटॉप–3** अदद्
6. दूरदर्शक(टेलिविजन) बडे आकार का –3 अदद्

उक्त सामाग्रियों का क्रय यथा संभव GEM के माध्यम से किए जानें का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–5

महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षक की सूची में से किसी अंकेक्षक को नियुक्त कर **DMFT** मद से संचालित योजनाओं का अंकेक्षण करायें जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अतः में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

23/5/18

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
DMFT पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांकः– 38 / DMFT, दिनांक 23/5/2018
प्रतिलिपिः–..को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
DMFT पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।